



बिहार विकास मिशन

(मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के शासकीय अधीन)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कैम्पस,
हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना-800023
दूरभाष संख्या:-0612-2285262

सं०सं०- बि०वि०मि०-स्था०(बैठक)-04/2019-818, पटना-23, दिनांक-28/5/19

-:: कार्यालय आदेश ::-

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-12.09.2017 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि “संविदा पर नियोजन कम से कम तीन वर्ष की हो एवं प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी के मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर उनके कार्यों की समीक्षा की जाय। समीक्षोपरांत संतोषप्रद कार्य एवं आवश्यकतानुसार नये सिरे से एकरारनामा निष्पादित किया जाय”।

उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र हेतु संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों सहित बिहार विकास मिशन द्वारा नियोजित संविदा कर्मियों के मामले में कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में संविदा पर नियोजित अधिकांश कर्मियों सहित अन्य कर्मियों की सेवा अवधि लगभग 02 वर्ष 08 माह हो चुकी है।

अतः उन कर्मियों के उपयोगिता/ आवश्यकता के मद्देनजर उनकी सेवा और 02 वर्ष अर्थात् कुल पाँच वर्ष तक जारी रखने/ नये सिरे से नियोजन करने के बिन्दु पर शासी निकाय, बिहार विकास मिशन से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी। शासी निकाय द्वारा दिये गए निदेश के अनुपालन में दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की बैठक में उक्त प्रस्ताव समिति के विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-634, दिनांक-29.04.2019 के कार्यावली संख्या-06 के अनुपालन में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र हेतु संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों सहित बिहार विकास मिशन द्वारा नियोजित संविदा कर्मियों की सेवा और 02 वर्ष अर्थात् कुल 05 वर्ष तक जारी रखने/ नये सिरे से एकरारनामा करने के बिन्दु पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन कर्मियों के कार्यों की प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की जायेगी एवं उनके मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुरूप सेवा जारी रखने/ नये सिरे से एकरारनामा करने के बिन्दु पर आवश्यकतानुसार बिहार विकास मिशन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।


(संजय कुमार)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक- बि०वि०मि०-स्था०(बैठक)-04/2019-818, पटना-23, दिनांक-28/5/19

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ पुलिस महानिदेशक, बिहार/ सभी अपर मुख्य सचिव / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/ मिशन निदेशक/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सदस्य सचिव

5.35 P.m
28/5/19

ज्ञापांक- बि०वि०मि०-स्था०(बैठक)-04/2019.....818.....,पटना-23,दिनांक-28/5/19.....

प्रतिलिपि:-अपर निदेशक (प्रोग्राम मॉनिटरिंग)/अपर निदेशक (प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन)/ सभी उप-मिशन निदेशक/ मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (विधि एवं अधिप्राप्ति)/ महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं सूचना प्रावैधिकी)/ महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सदस्य सचिव

ज्ञापांक- बि०वि०मि०-स्था०(बैठक)-04/2019.....818.....,पटना-23,दिनांक-28/5/19.....

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, बिहार विकास मिशन को website पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।



सदस्य सचिव